उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या- 37/2017/1063जे/22-5-2017-300(39)2016

लखनऊ : दिनांक 25 मई ,2017

वारण्ट

मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी में मानसिक उपचार हेतु भर्ती उप कारागार, महोबा के सिद्धदोष बंदी बंशीधर पुत्र श्री मोहन को विजिटर्स बोर्ड की दिनांक 28-11-2016 को सम्पन्न हुई बैठक में मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-518 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(2) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे उप कारागार, महोबा वापस कर दिया जाये।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-37/2017/1063जे/22-5-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-13408/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/2/2016, दिनांक 01-05-2017 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।
2. जिलाधिकारी, महोबा ।
3. पुलिस अधीक्षक, महोबा।
4. अधीक्षक, उप कारागार, महोबा को शासन के वारण्ट संख्या-339/2016 /4363जेएल/22-3-16-300(39)2016 दिनांक 05-09-2016 के क्रम में।
5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
6. गाई फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in